

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी 2016—माघ 20, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्र. .84(9)-वि. निर्वा.-चार-2016-47.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-Exit-2016-SDR-Vol. I, दिनांक 3 फरवरी 2016 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 3 फरवरी 2016—14 माघ, 1937 (शक)

अधिसूचना

संख्या 576-एक्जिट-2016-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यतः, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग के दिनांक 12 जनवरी, 2016, के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/2/2016 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और, यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 13 फरवरी, 2016 (शनिवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 12 जनवरी, 2016, के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/2/2016 के द्वारा घोषित उत्तरप्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 50 बीदर एवं 158-हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा के 35-नारायणखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश के 65-मैहर विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र, पंजाब के 24 खाडूर साहिब विधान सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान

सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधान सभा क्षेत्र से उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 3rd February, 2016—14 Magh, Saka 1937

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2016-SDR-Vol.I.—WHEREAS, the schedule for the Bye-Elections to the Legislative Assemblies of **Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Bihar, Telangana, Maharashtra, Punjab and Tripura** have been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/2/2016, dated 12th January, 2016 and notified on 20th January, 2016.

2. AND, WHEREAS, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) (b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M. to 5.30 P.M.** on 13-02-2016 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-election announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/2/2016, dated 12th January, 2016 from **14-Muzaffar Nagar, 274-Bikapur, and 5-Deoband Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 56-Devadurga (ST), 50-Bidar and 158-Hebbal Assembly Constituencies in Karnataka, 35-Narayankhed Assembly Constituency in Telangana, 65-Maihar Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 130-Palghar (ST) Assembly Constituency in Maharashtra, 24-Khadoor Sahib Assembly Constituency in Punjab, 31-Harlakhee Assembly Constituency in Bihar, 42-Amarpur Assembly Constituency in Tripura shall be prohibited.**

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)
Secretary,
Election Commission of India.